तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा चारभुजा जी बनाम कैलाश चन्द्र वगैरा किस्म- वाद 42-21/14
22-3-16	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दौरे मे पधारे हैं/अन्य राजकार्य मे व्यस्त है अतः पत्रावली साबिक आदेश मे दिनांक 10-6-16 को पेश हो। हुक्म आज्ञा से रीडर सब डिविजन ऑफिसर बनेड़ा
12/5/16	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर डाबला में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित नहीं होकर पत्रावली का मेरीट पर अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद ग्रस्त आराजीयात 1676, 1677, 1678 किता-3 रकबा 3.00 बीघा भूमि प्रतिवादियों के नाम दर्ज रेकार्ड होने से पुनः वादी के पक्ष में अंकन कराये जाने बाबत वाद पत्र पेश किया, गया। राजस्व पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू-अ.नि. डाबला के अवलोकन से स्पष्ट है कि भू-प्रबंध से पूर्व वाद ग्रस्त भूमि चारभुजा जी खरपोट के पुजारी के नाम दर्ज रेकार्ड थी बवक्त सेटलमेन्ट उपरान्त वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी गई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के मुताबिक पुनः इन्द्राज कायम किया जाकर भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा मुकाम बनेड़ा

.... बनाम ....

.... नं. .... सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
करावे जाने तथा तद्नुसार डिक्री जारी कराये जाने की प्रार्थना की गई। प्रकरण का आद्योपान्त अवलोकन करने पर यह प्रकरण इन्द्राज दुरस्ती का मामला नहीं बनता है अपितु राज्य पक्ष की ओर से प्रकरण रेफरेन्स योग्य हो जाता। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र विरुद्ध विपक्षी खारीज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है साथ ही तहसीलदार बनेड़ा को निर्णय एवं वाद पत्र की प्रमाणित प्रति भिजवाते हुए, निर्देशित किया जाता है कि राज्य हित के संरक्षण हेतु सक्षम न्यायालय मे रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर अपेक्षित कार्यवाही की जावे। वादी का वाद-पत्र खारीज किये जाने से पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल रिकार्ड हो। पालनार्थ TDR बनेड़ा को लिखा जाकर तद्नुसार डिक्री ~~मुरत्तब~~ मुर्तिब हो। निर्णय सरे-इजलास सुनाया गया।	